By Mail

कार्यालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही

क्रमांक : 01 **दिनांक :** 02/01/2026

रिमाण्ड ड्यूटी आदेश

1– मैं **मुकेश चावला,** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही बी.एन.एस.एस. की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह **जनवरी, 2026** में होने वाले निम्न राजपत्रित अवकाशों हेतु **सम्पूर्ण सिरोही जिले** के अंतर्गत आने वाले पुलिस थानों से संबंधित आवश्यक कार्य यथा अवकाश के दिन **रिमाण्ड ड्यूटी/प्रोटोकोल, धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अतिआवश्यक बयान, मृत्युकालिक कथन, इन्कवेस्ट आदि कार्य** हेतु निम्न न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण की ड्यूटी निम्नांकित दिवस में **पूर्ववर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पश्चात् से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक** लगाई जाती है :–

क्र. सं.	अवकाश की दिनांक	नाम अधिकारी	न्यायालय का नाम
01.	04.01.2026	श्रीमती वीना सुवालका	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही
02.	10.01.2026	श्रीमती सलोनी सक्सेना	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आबूरोड़
03.	11.01.2026	श्रीमती सोनल शर्मा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेवदर
04.	18.01.2026	श्री अंकुश भदोरिया	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवगंज
05.	24.01.2026	श्रीमती प्रियंका तानान	न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिंडवाड़ा
06.	25.01.2026	श्री अक्षत वर्मा	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय पिंडवाड़ा
07.	26.01.2026	श्री दीपांशु आर्य	न्यायिक मजिस्ट्रेट, आबूरोड़

2– प्रथमतः यदि कोई मजिस्ट्रेट अपने मुख्यालय पर है तो यथा संभव उनके द्वारा ही अपने अधिकारिता के थानों में रिमाण्ड इत्यादि दिये जायेंगे।

3– नियत अवकाश दिवसों के अगले दिवस पर किसी कारणवश अवकाश घोषित होने की स्थिति में अवकाश से पूर्व दिवस ड्यूटी पर रहे पीठासीन अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी रहेगी।

4– माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिपत्र संख्या 14/P.I./2025 दिनांक 09.07.2025 के बिन्दु संख्या 01 की पालना में मुख्यालय पर एक मात्र न्यायिक मजिस्ट्रेट पदस्थापित है। अतः मुख्यालय के बाहर के अधिकारियों की भी रिमाण्ड ड्यूटी लगाई जा रही है। बिन्दु संख्या 03 की पालना में Special Judges/Addl. District Judges न्यायालय से संबंधित प्रथम रिमाण्ड संबंधित रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जायेगा।

5– अति आवश्यक होने पर ही रिमाण्ड ड्यूटी को परिवर्तन करने का निवेदन किया जावे। रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन नहीं किया जावेगा जब तक कि अति आवश्यक स्थिति के कारण रिमाण्ड हेतु नामित अधिकारी के प्रार्थना पत्र के साथ या पृथक से उनके स्थान पर अन्य अधिकारी का सहमति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

6– प्रशासनिक कारणों से ड्यूटी में परिवर्तन किया जा सकेगा।

2-1-26

7– रिमाण्ड ड्यूटी के दिन संबंधित अधिकारी स्वयं के न्यायालय में समय सुबह 11 ए.एम. से 01 पी.एम. तक उपस्थित रह कर रिमाण्ड ड्यूटी करेंगे एवं आवश्यकतानुसार कर्मचारीगण को पाबंद कर सकेंगे।

2-1-26

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिरोही

क्रमांक : **दिनांक :**

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–</u>

1–श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सिरोही को भेजकर सादर निवेदन है कि रिमाण्ड ड्यूटी हेतु नामित न्यायालय के अधिकारी को रिमाण्ड ड्यूटी दिवस को मुख्यालय परित्याग की अनुमति नहीं दी जावे।

2–श्रीमान् विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय, सिरोही।

3–श्रीमान् न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सिरोही।

4–श्रीमान् न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सिरोही।

5–श्रीमान् विशिष्ठ न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण, सिरोही।

6–श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 01/02 आबूरोड/ पिण्डवाडा/सिरोही।

7–अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आबूपर्वत/शिवगंज/आबूरोड।

8–प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड सिरोही।

9–सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही/आबूरोड/पिण्डवाडा/ रेवदर।

10–न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, पिण्डवाडा।

11–पुलिस अधीक्षक, सिरोही को भेजकर लेख है कि वह जिले के समस्त थानाधिकारियों को इस आदेश की प्रति प्रेषित कर सूचित करे तथा उन्हें आदेश में वर्णित निर्धारित समय पर रिमाण्ड व अन्य प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देंवे तथा अति–आवश्यक स्थिति में ही निवास पर रिमाण्ड पेश किया जावे।

12–इंचार्ज पुलिस कंट्रोल रूम, सिरोही।

13–अध्यक्ष वकील मण्डल, सिरोही।

14–आदेश/संबंधित पंजिका।

15–संबंधित अधिकारी।

2-1-26

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिरोही